

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या— 2324009
पत्र संख्या—फार्म अनुभाग—आ०घो०प०स०—2023-24 /

566 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र०।
(फार्म अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक 25 जुलाई, 2023

—विज्ञप्ति—

उत्तर प्रदेश प्रवेशकर अधिनियम सपठित उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 56 के उप नियम (12) में कमिश्नर, वाणिज्य कर को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मैं एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित फार्म-डी का विवरण निम्नवत प्रकाशित करता हूँ जिसके खो जाने/चुरा लिये जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-56 के उप नियम (9) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई है, को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ।

क्र० सं०	नाम व पता	Missing फार्म की संख्या	फार्म-सी/डी/आयात घोषणा पत्रों/ओ0सी0स्टैम्प की सीरीज एवं खोने के क्रमांक	सीरीज
1	सर्वश्री तिरुपति सिलेण्डर्स प्रा०लि०, 9 किमी०, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर ।	फार्म-डी 03 अद्द	फार्म-डी सीरीज संख्या क्रमशः-03, 04 एवं 05	EEPW0618349 EEPW0618350 EEPW0618351

46-2417123

(राजेश कुमार पाण्डेय)
एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
जस्त्र प्रदेश, लखनऊ।

प०प०सं० व दिनांक उक्त -

पूर्णसोन व दिनाक उत्ता -
प्रतिक्रिया - निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहा हतु प्राप्ति

 - (1) अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित विज्ञप्ति का प्रकाशन साप्ताहिकी साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
 - (2) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर/समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक/विभागीय0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने-अपने सम्भागों से सम्बन्धित अधिकारियों को छायाप्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
 - (3) डिप्टी कमिशनर (उ0न्या0कार्य), इलाहाबाद/लखनऊ।
 - (4) डिप्टी कमिशनर (आई0टी0), वाणिज्यकर, मुख्यालय लखनऊ।
 - (5) समस्त डिप्टी कमिशनर (कोनी0)/असिस्टेन्ट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी/मण्डल/उपमण्डल खण्ड/सचिवालय के परिपत्र वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इन खोए हुए/ नष्ट हुए फार्म के संबंध में मुख्यालय के संख्या (विधि-2 सत्यापन) (85-86)-201/ बिक्री कर दिनांक 23-1-85 एवं परिपत्र सं0 फार्म-31 (91-92)-फार्म संख्या 865/ बिक्री कर दिनांक 02-11-91 के अनुसार कार्यवाही / अनुपालन / किया जाना सुनिश्चित करें।
 - (6) मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी।
 - (7) विधि/ मैनुअल / नई इकाई को पाँच-पाँच प्रतियाँ।
 - (8) सूचना केन्द्र अनुभाग मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ।
 - (9) श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस, आर0-15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
 - (10) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, RD-51 राजनगर, गाजियाबाद।
 - (11) महालेखाकार (कार्मर्शियल एवं रिसीट ऑडिट) यू०पी०६ फ्लोर, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
 - (12) समस्त नोडल अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

ज्वाइण्ट कमिशनर(वाद)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।